(5)

प्रकरण संख्या–01/2017 रजु दिनांक 30.01.2017

# न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

## उनवान

महेश सैनी पुत्र रामखिलाड़ी उम्र 35 साल जाति सैनी (माली) निवासी बदलेटा (पट्टी) तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. – अपीलाण्ट

**बनाम**

राज. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, करौली, जिला करौली, राज. – रेस्पोडेण्ट

**अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 19.12.2016 जिला रसद अधिकारी, करौली मुकदमा नंबर 168/2016 एफ.पी.एस. के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 103/2003 को निरस्त किया गया है, के विरुद्ध अपील तहत धारा 22 राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तु वितरण आदेश – 1976**

## निर्णय

दिनांक–19.09.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अदालत मातहत दिनांक 19.12.2016 जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 103/2003 को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं जो विधि विरुद्ध हैं। अनुचित तौर पर आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी को वगैर किसी सुनवाई का नोटिस व उचित अवसर व साक्ष्य सबूत का मौका दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के ग्राम पंचायत की सरपंच प्रकाशी देवी है जो ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्यों की सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अपीलाण्ट की भाभी शारदा देवी द्वारा पंचायत कार्यों की नकल मांगी गयी थी जिस पर सरपंच नाराज हो गयी और इसी नाराजगी के कारण सरपंच द्वारा अपनी जिठानी हरकेश देवी से झूठी शिकायत प्रार्थी डीलर की करायी गयी जिसकी जांच ई.आई. साहब टोड़ाभीम ने की गई। सरपंच साहब के प्रभाव व प्रलोभन में ई.आई. ने आकर गलत तौर पर जांच रिपोर्ट बनाई गई। ना तो प्रार्थी के वितरण रजिस्टरों की जांच (चैक) किया गया ना ही स्टॉक की कोई जांच किया गया। सरपंच साहब के घर पर सारी कार्यवाही की गई। यहां तक प्रार्थी डीलर को भी ना तो जांच करते वक्त बुलाया गया ना ही कोई जबाव लिया गया व न हीं साक्ष्य सबूत का कोई समुचित अवसर दिया गया और मनमाने तौर पर सरपंच के प्रभाव में आकर गलत तौर पर रिपोर्ट बनाई जाकर सरपंच से मिली भगत के आदमियों के हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट पर करवाये गये हैं जिससे यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि जांच रिपोर्ट एकतरफा मनमानी तैयार करवायी गयी है। ई.आई. साहब टोड़ाभीम द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में निरीक्षणकर्ता को शादी में जाने के संबंध में तथ्य अंकित किया है। दूसरी तरफ जांच अधिकारी द्वारा

जिला कलेक्टर
करौली

अपनी जांच में गेंहूं, तेल व अन्य वस्तु कम मिलना व अन्य लांछन लगाये गये हैं जब प्रार्थी डीलर निरीक्षण के दौरान शादी में गया हुआ था और दुकान बंद होना बताया गया तो उक्त जांच अधिकारी को गेंहूं व तेल कम मात्रा में स्टॉक होने की जानकारी कैसे हुई व अन्य जो लांछन लगाए हुए हैं वह वगैर स्टॉक रजिस्टर की जांच किये सारी कार्यवाही रिपोर्ट सरपंच की मिलीभगत से तैयार कर प्रार्थी के विरुद्ध गलत जांच रिपोर्ट बनाकर रसद अधिकारी करौली को प्रस्तुत की गयी। रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त जांच पर बगैर कोई गौर किये प्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 103/03 निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इस शिकायत से पूर्व भी सरपंच महोदय द्वारा प्रार्थी के खिलाफ झूंठी शिकायत पेश की गई। ई.आई. साहब टोड़ाभीम द्वारा झूंठी व गलत रिपोर्ट बनाई गई जिस पर स्वयं जिला रसद अधिकारी करौली ने जांच की गई जिसमें प्रार्थी को निर्दोष माना गया। प्रार्थी को नाजायज नुकसान पहुंचाने की गरज से आये दिन झूंठी शिकायतें सरपंच रंजिशवश करवाती रही है। निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस से अपील अपीलाण्ट द्वारा अंदर मियाद पेश की है। अंत में अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.12.2016 जिला रसद अधिकारी करौली अपास्त किये जाने एवं अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र सं. 103/2003 बहाल करने एवं वितरण आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन है कि जांच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2016 प्रवर्तन निरीक्षक ने सरपंच ग्राम पंचायत प्रकाशीदेवी से मिलीभगत कर गलत तैयार की गयी है। जांच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2016 में प्रवर्तन निरीक्षक टोडाभीम ने ग्राम पंचायत बालघाट के लोगों के बयान लिये हैं जिनके अनुसार अपीलाण्ट महेशचंद का व्यवहार जांच रिपोर्ट में सही व अच्छा माना गया है। ग्रामीणों के बयान मौके पर लिये गये हैं। शिकायतकर्ता हरकेशी देवी की जिठानी ग्राम पंचायत की सरपंच है। पंचायत के अंतर्गत किये जा रहे घोटालों की अपीलाण्ट की भाभी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पंचायत कार्यों की नकलें मांगी गयी थी जिस पर सरपंच नाराज हो गयी और अपनी दौरानी से झूंठी शिकायत अपीलाण्ट डीलर के खिलाफ करवा दी गयी एवं उक्त जांच निरीक्षक टोडाभीम ने की थी जो टोडाभीम सरपंच के प्रभाव का है। सरंपच के साथ उठक–बैठक करता है। सरपंच से मेल मिलाप कर सारी रिपोर्ट तैयार की है अपीलाण्ट ने कईयों बार प्रार्थनापत्र पेश किया कि निरीक्षक टोडाभीम सरपंच के प्रभाव में गलत जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस संबंध में अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के यहां अपनी ग्राम पंचायत के करीब 100 आदमी पेश किये गये उनका पंचनामा भी रेस्पोडेण्ट के समक्ष पेश किया गया है। इसके उपरांत भी रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के तथ्यों पर गौर न कर गलत आदेश लाईसेन्स निरस्त का पारित किया है। जांच में प्रवर्तन निरीक्षक टोडाभीम ने अपीलाण्ट के गबन की कोई बात दर्ज नहीं की है। निरीक्षक द्वारा अपीलाण्ट को लिखित सूचना दुकान की जांच



जिला रसद अधिकारी
करौली

करने बाबत् दी गयी तो अपीलाण्ट द्वारा उक्त तारीख को अपने घर में शादी होना बताया गया जो लिखित रूप में अपीलाण्ट के जबाव में अंकित है। जब दुकान खुली ही नहीं थी, रजिस्टर एवं स्टॉक की जांच नहीं हुई तब गबन का कोई प्रश्न नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा कोई कालाबाजारी नहीं की गई है। अपीलाण्ट को जो माल मिला था वह सही एवं वैध तरीके से वितरण किया गया एवं शेष माल स्टॉक में था। निर्णय दिनांक 19.12.2016 एकपक्षीय है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार जिला रसद अधिकारी करौली का बहस में कथन है कि जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.16 व 03.10.16 विधिवत् हैं, सही हैं। जांच रिपोर्ट में अपीलाण्ट डीलर के वितरण रजिस्टर में अधिकांश महीनों के रजिस्टर में दिनांक अंकित नहीं थी व स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर में दिनांकों में अंतर था। रजिस्टर में बहुत से नाम राशन कार्ड धारियों के दो या दो से अधिक बार दर्ज थे जिससे 7 क्विं. 40 किलोग्राम गेहूं फर्जी तरीके से बांटा गया। वितरण रजिस्टर में बहुत से नाम ऐसे थे जो खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है जिनको गेंहूं का वितरण किया गया है। 60 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण करना वितरण रजिस्टर में अंकित है। वितरण रजिस्टर में मात्रा में काट–छांट की गयी है व वितरण दिनांक अंकित नहीं हैं। माह अप्रेल 2016 का चीनी का आवंटन व वितरण का कोई अंकन रजिस्टरों में नहीं था जिससे अपीलाण्ट द्वारा वितरण में कालाबाजारी एवं भारी अनियमितता सिद्ध होने पर निर्णय दिनांक 19.12.2016 विधिवत् पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.16 व दिनांक 03.10.16 एवं निर्णय दिनांक 19.12.2016 का विवेचन किया गया जिससे अपीलाण्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण में घोर अनियमितता कर राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाना प्रकट है जिससे खाद्य सुरक्षा में चयनित राशन कार्ड धारी राशन सामग्री प्राप्त करने से वंचित रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट तथ्यहीन व सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है। एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2016 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली